Think IAS...

दृष्टि The Vision

Think Drishti

उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (UPPSC)

सामान्य हिन्दी

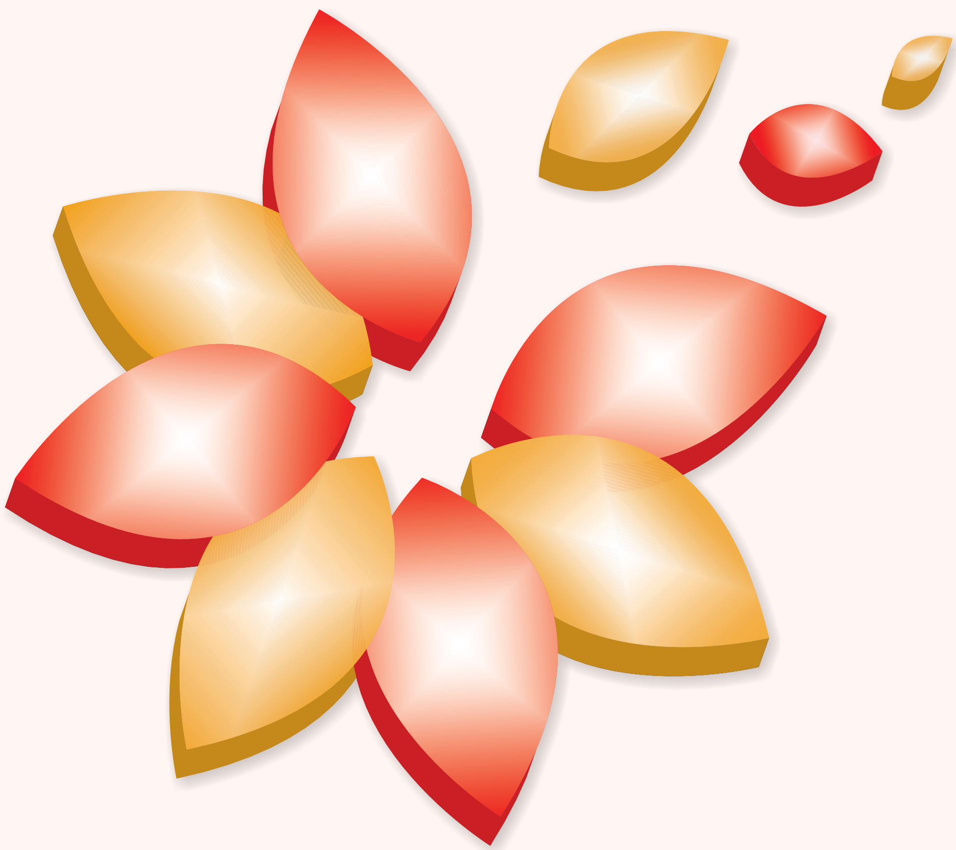

दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम *(Distance Learning Programme)*

Code: UPC08

उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (UPPSC)

सामान्य हिन्दी

दृष्टि The Vision
641, प्रथम तल, डॉ. मुखर्जी नगर, दिल्ली-110009
दूरभाष : 011-47532596, 87501 87501
टोल फ्री : 1800-121-6260
Web : www.drishtiIAS.com
E-mail : online@groupdrishti.com

पाठ्यक्रम, नोट्स तथा बैच संबंधी updates निरंतर पाने के लिये निम्नलिखित पेज को "like" करें
www.facebook.com/drishtithevisionfoundation
www.twitter.com/drishtiias

UPPCS DLP

विषय सूची (Contents)

1. हिन्दी भाषा का अर्थ, परिभाषा, स्वरूप **5-10**

2. हिन्दी भाषा का विकास काल **11-18**

3. हिन्दी वर्णमाला, विराम चिह्न **19-32**

3.1 हिन्दी वर्णमाला 19

3.2 विराम चिह्न 29

4. शब्द-रचना **33-33**

4.1 रूढ़ शब्द 33

4.2 यौगिक शब्द 33

4.3 योगरूढ़ शब्द 33

5. वाक्य-रचना **34-44**

5.1 सरल वाक्य 34

5.2 मिश्र वाक्य 34

5.3 संयुक्त वाक्य 40

6. अर्थ के अनुसार विशेष वाक्य **45-50**

6.1 सकारात्मक (विधिवाचक) वाक्य 45

6.2 नकारात्मक (निषेधवाचक) वाक्य 45

6.3 प्रश्नवाचक वाक्य 47

6.4 विस्मयवाचक वाक्य 48

6.5 आदेशवाचक वाक्य 49

6.6 इच्छावाचक वाक्य 49

6.7 संकेतवाचक वाक्य 49

6.8 संदेहवाचक वाक्य 50

7. शब्द-रूप **51-60**

7.1 संज्ञा 51

7.2 लिंग 52

7.3 वचन 53

7.4 कारक 56

7.5 सर्वनाम 58

8. संधि एवं समास **61-79**
- **8.1** संधि 61
- **8.2** समास 72

9. क्रिया **80-98**
- **9.1** क्रिया एवं उनके प्रकार 80
- **9.2** काल एवं उनके प्रकार 82
- **9.3** वाच्य एवं उनके प्रकार 85
- **9.4** अव्यय एवं उनके प्रकार 89
- **9.5** क्रिया-विशेषण 94

10. अनेकार्थी/अनेकार्थक शब्द **99-109**

11. विलोम शब्द **110-121**

12. पर्यायवाची शब्द **122-130**

13. मुहावरे और लोकोक्तियाँ (कहावतें) **131-159**
- **13.1** मुहावरे 131
- **13.2** लोकोक्तियाँ (कहावतें) 146

14. शब्द-भेद [तत्सम, तद्भव, देशज (देशी), विदेशज (विदेशी) एवं संकर शब्द] **160-168**

15. वर्तनी (शब्द-शुद्धि) **169-179**

16. अर्थबोध **180-200**
- **16.1** समानार्थक/समानार्थी शब्द एवं अर्थभेद 180
- **16.2** शब्द-युग्म, अर्थ एवं वाक्य-प्रयोग 186

17. उपसर्ग एवं प्रत्यय **201-219**
- **17.1** उपसर्ग 201
- **17.2** प्रत्यय 204

18. वाक्य या वाक्यांश के लिये एक शब्द **220-243**

19. विशेषण और विशेष्य **244-254**
- **19.1** विशेषण 244
- **19.2** विशेष्य 250

20. हिन्दी भाषा की सामान्य अशुद्धियाँ (वाक्य-शुद्धि) **255-273**
- **20.1** वाक्य-रचना के नियम 255
- **20.2** शब्द-प्रयोग संबंधी महत्त्वपूर्ण सुझाव 258

21. हिन्दी की उपभाषाएँ व बोलियाँ **274-279**

22. पारिभाषिक शब्दावली (प्रशासनिक एवं वाणिज्यिक) **280-292**

23. गद्यांश एवं उनसे संबंधित प्रश्न-उत्तर (शीर्षक, भावार्थ, संक्षेपण एवं रेखांकित अंशों की व्याख्या) **293-308**

अध्याय
1

हिन्दी भाषा का अर्थ, परिभाषा, स्वरूप

विश्व में प्रचलित हज़ारों भाषाओं में एक मुख्य एवं महत्त्वपूर्ण भाषा हिन्दी भी है। विकसित एवं समृद्ध भाषाओं की श्रेणी में हिन्दी प्रमुखता से स्थापित है। हिन्दी न केवल भारत की राजभाषा और राष्ट्रभाषा है, वरन् भारत के बाहर भी भारतीय मूल के प्रभुत्व वाले देशों यथा- फिजी, मॉरीशस, सूरीनाम, त्रिनिदाद एवं टोबैगो आदि देशों की भी भाषा है।

'भाषा' शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के 'भाष' धातु से हुई है, जिसका अर्थ होता है—व्यक्त करना अथवा कहना। संस्कृत में व्यक्त वाणी को भाषा कहते हैं। इस शाब्दिक अर्थ के अनुरूप 'भाषा' वह वाचिक माध्यम है, जिसके द्वारा मनुष्य अपने संपूर्ण मनोभावों एवं विचारों को व्यक्त करता है। इस प्रकार भाषा मनुष्य के मनोभावों के पारस्परिक आदान-प्रदान का सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण एवं व्यापक वाचिक माध्यम है। वाचिक माध्यम के समान ही लेखन भी भाषा का महत्त्वपूर्ण एवं सशक्त माध्यम है, जो लिपि-चिह्नों के प्रयोग से संभव हुआ है। इसी तरह सांकेतिक माध्यम भी भाषा का एक अन्य माध्यम है। संक्षेप में भाषा के उपर्युक्त तीनों माध्यमों का प्रयोग मनुष्य द्वारा अपने अन्यान्य भावों एवं विचारों की सार्थक एवं पूर्ण अभिव्यक्ति ही है।

भाषा के अर्थ स्पष्टीकरण हेतु हिन्दी के भाषाविदों ने इसे अपने-अपने स्तर से परिभाषित करने का प्रयास किया है, जिनमें से कुछ प्रमुख परिभाषाओं का उल्लेख करना विशेष समीचीन होगा।

आचार्य देवेंद्रनाथ शर्मा के शब्दों में, "उच्चरित ध्वनि-संकेतों की सहायता से भाव या विचार को पूर्ण अथवा जिसकी सहायता से मनुष्य परस्पर विचार-विनिमय या सहयोग करते हैं, उस यादृच्छिक, रूढ़ ध्वनि-संकेतों की प्रणाली को भाषा कहते हैं।"

डॉ॰ भोलानाथ तिवारी के अनुसार, "भाषा उच्चारण अवयवों से उच्चरित प्रायः यादृच्छिक ध्वनि-प्रतीकों की वह व्यवस्था है, जिसके द्वारा किसी भाषा समाज के लोग आपस में विचारों का आदान-प्रदान करते हैं।"

एक **पाश्चात्य विद्वान क्रोचे** ने भाषा को परिभाषित करते हुए लिखा है, ''भाषा सीमित और व्यक्त ध्वनियों का नाम है, जिन्हें हम अभिव्यक्ति के लिये संगठित करते हैं।''

एक अन्य पाश्चात्य विद्वान वेंद्रे के शब्दों में, ''भाषा मनुष्यों के बीच संचार-व्यवहार के माध्यम के रूप में एक प्रतीक व्यवस्था है।''

विशेषता : उपर्युक्त विद्वानों की परिभाषाओं का विश्लेषण करने पर भाषा की कुछ निश्चित विशेषताएँ चिह्नित होती हैं, जैसे—

(क) भाषा का संबंध मात्र मनुष्य से है।
(ख) भाषा का स्वरूप ध्वन्यात्मक होता है।
(ग) भाषा प्रतीकात्मक (लेखन रूप में) होती है।
(घ) भाषा के सार्थक ध्वनि-संकेतों से मनोभाव एवं विचारों की अभिव्यक्ति एवं विनिमय होता है।
(ङ) भाषा के ध्वनि-संकेत उच्चारण में वर्णों एवं शब्दों में व्यक्त होते हैं।
(च) भाषा परिवर्तनशील होती है।
(छ) परिवर्तनशील प्रकृति के कारण भाषा सरलता एवं प्रौढ़ता की ओर गतिशील होती है।
(ज) भाषा क्षेत्रीय सीमा से बँधी होती है।
(झ) भाषा का अस्तित्व सांस्कृतिक विकास-पतन से सीधा जुड़ा होता है।

भाषा की प्रकृति

भाषा के विशेष गुण अथवा स्वभाव को उस भाषा की प्रकृति कहते हैं। प्रायः प्रत्येक भाषा के अपने गुण-अवगुण एवं प्रकृति होती है। भाषा की प्रकृति नदी के जल के समान होती है। नदी के जल के प्रवाह के समान ही भाषा भी देश, काल और सामाजिक-सांस्कृतिक परिस्थितियों के अनुरूप अपने स्वरूप का विकास करती रहती है। भाषा एक सामाजिक शक्ति

(ङ) क्रिया-विशेषण संबंधी अंतर– इब → अब, इभी → अभी, क्यूँ → क्यों, जाँ → जहाँ, ह्याँ → वहाँ आदि।

(च) स्त्रीलिंग प्रत्यय-संबंधी अंतर–पंडतानी → पंडितानी, सुनारण → सुनारिन आदि (पश्चिमी हिन्दी-प्रत्यय– 'इन', 'अण'; मानक हिन्दी-प्रत्यय–'इन')

इस प्रकार हिन्दी के मानकीकरण में भले ही पश्चिमी हिन्दी की खड़ी बोली को स्रोत या आधार भाषा के रूप में लिया गया हो, परंतु मानक हिन्दी इससे नितांत भिन्न होते हुए भी स्वतंत्र प्रकृति और पहचान बनाने में सफल रही है। मानक हिन्दी हर स्तर और रूप में हिन्दी से बहुत आगे निकल गई है। इसने अपनी भाषायी प्रकृति और प्रवृत्ति के अनुरूप अन्यान्य देशी एवं विदेशी भाषाओं से ग्राह्य सामग्रियों को ग्रहण कर समृद्ध भाषा का मार्ग प्रशस्त किया है, जो न केवल उसके राष्ट्रभाषा के गौरव के अनुकूल है, वरन् विश्व की तीसरी प्रमुख भाषा की प्रसिद्धि के अनुरूप भी है।

अति लघुउत्तरीय प्रश्न

1. भाषा का अर्थ स्पष्ट कीजिये।
2. भाषा के प्रमुख मान्य रूप कौन-कौन से हैं?
3. हिन्दी व्याकरण की प्रमुख विशेषताओं को संक्षिप्त रूप में लिखिये।
4. आचार्य देवेंद्रनाथ शर्मा के अनुसार भाषा को परिभाषित कीजिये।

अध्याय

2

हिन्दी भाषा का विकास काल

हिन्दी एक आधुनिक आर्यभाषा है, जिसका विकास आर्यों की मूल भाषा संस्कृत से हुआ है। भारतीय तथा बाहरी क्षेत्रों में आर्यभाषाओं का विकास अलग-अलग पद्धति से हुआ है। भारतीय आर्यभाषा के विकास को प्राय: तीन चरणों में विभक्त किया जाता है–

- **प्राचीन आर्यभाषाएँ:** इन भाषाओं के विकास का समय लगभग 2000 ई.पू. से 500 ई.पू. तक माना गया है। इसके अंतर्गत दो स्थितियाँ शामिल हैं-
  - वैदिक संस्कृत (2000 से 1000 ई.पू.) तथा
  - लौकिक संस्कृत (1000 से 500 ई.पू.)
- **मध्यकालीन आर्यभाषाएँ:** इन भाषाओं का विकास काल 500 ई.पू. से 1000 ई. तक स्वीकार किया गया है। इस भाग के अंतर्गत चार चरण मिलते हैं-
  - पालि (500 ई.पू. से ईसवी सन् के आरंभ तक)
  - प्राकृत (ईसवी सन् के आरंभ से 500 ई. तक)
  - अपभ्रंश तथा अवहट्ट (500 ई. से 1100 ई. तक)
- **आधुनिक आर्यभाषाएँ:** इन भाषाओं के विकास का समय लगभग 1100 ई. से अभी तक माना जाता है। इनमें हिन्दी, बांग्ला, उड़िया, असमी, मराठी, गुजराती, पंजाबी तथा सिंधी जैसी भाषाएँ शामिल हैं।

हिन्दी भाषा का विकास-क्रम

उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि हिन्दी एक आधुनिक आर्यभाषा है, जिसका विकास मूलत: प्राचीन आर्यभाषा संस्कृत से हुआ है। संस्कृत और हिन्दी के संपर्क सूत्र को स्थापित करने वाली भाषिक स्थितियों को हम मध्यकालीन आर्यभाषाएँ कहते हैं। अत: हिन्दी के विकास का अध्ययन मध्यकालीन आर्यभाषाओं से आरंभ करना उचित प्रतीत होता है।

हिन्दी का उद्भव कब हुआ, इस पर भाषा-विज्ञानियों में गंभीर मतभेद हैं। कुछ का दावा है कि अपभ्रंश के विकास से ही हिन्दी का विकास मान लेना चाहिये तो दूसरे छोर पर कुछ अन्य का मत है कि पुरानी हिन्दी के विकास से पहले की स्थितियों को अपभ्रंश और अवहट्ट के रूप में स्वतंत्र माना जाना चाहिये और हिन्दी की शुरुआत पुरानी या प्रारंभिक हिन्दी से मानी जानी चाहिये।

वर्तमान भाषा-विज्ञान में सामान्यत: पुरानी हिन्दी से ही हिन्दी की शुरुआत माने जाने का प्रचलन है। इसका अर्थ है कि हिन्दी का आरंभ लगभग 1100 ई. में हो गया था। किंतु यह भी ध्यान रखना ज़रूरी है कि तब से आज तक की विकास-यात्रा कई अलग-अलग प्रवृत्तियों पर आधारित है। इस कारण हिन्दी के विकास को भी तीन चरणों में बाँटा जाता है-

- प्राचीन हिन्दी (1100 ई. से 1350 ई. लगभग)
- मध्यकालीन हिन्दी (1350 ई. से 1850 ई. लगभग)
- आधुनिक हिन्दी (1850 ई. से अभी तक)

प्राचीन हिन्दी

प्राचीन हिन्दी, पुरानी हिन्दी तथा आरंभिक हिन्दी शब्द कुछ विवादों के बावजूद प्राय: समानार्थी शब्दों के रूप में स्वीकार कर लिये गए हैं। इस काल में हिन्दी का कोई निश्चित स्वरूप तो नहीं मिलता, लेकिन हिन्दी की बोलियों के स्वतंत्र विकास की पूर्वपीठिका ज़रूर दिखाई देती है। इस काल में हिन्दी भाषा अपभ्रंश के केंचुल को धीरे-धीरे छोड़कर हिन्दी की बोलियों के रूप में विकसित हो रही थी।

अध्याय
3

हिन्दी वर्णमाला, विराम चिह्न

हिन्दी वर्णमाला, विराम चिह्न नामक अध्याय के अंतर्गत हिन्दी वर्णमाला से संबंधित महत्त्वपूर्ण बिंदुओं को समझाने का प्रयास किया गया है तथा हिन्दी लेखन कार्य में प्रयोग होने वाले विराम चिह्नों को भी स्पष्ट किया गया है।

3.1 हिन्दी वर्णमाला

हिन्दी भाषा की लिपि देवनागरी है। हिन्दी भाषा में कुल 57 वर्ण हैं।

हिन्दी वर्णमाला

- **स्वर (12)**
  - **मूल स्वर (4)** → अ, इ, उ, ऋ
  - **दीर्घ स्वर (4)** → आ (अ + अ), ई (इ + इ), ऊ (उ + उ), ॠ (ऋ + ऋ)
  - **संयुक्त स्वर (4)** → ए (अ + इ), ऐ (अ + ए), ओ (अ + उ), औ (अ + ओ)
- **व्यंजन (45)**
  - **स्पर्श व्यंजन (25)**
    - **क वर्ग:** क ख ग घ ङ
    - **च वर्ग:** च छ ज झ ञ
    - **ट वर्ग:** ट ठ ड ढ ण
    - **त वर्ग:** त थ द ध न
    - **प वर्ग:** प फ ब भ म
  - **अंतस्थ व्यंजन (4)** → य, र, ल, व
  - **ऊष्म या संघर्षी व्यंजन (4)** → श, ष, स, ह

ऊपर दिये गए ये तैंतीस (33) व्यंजन हिन्दी में मूल रूप से स्वीकृत हैं।

- इनके अतिरिक्त विकास प्रक्रिया में आठ अन्य व्यंजन भी हिन्दी में स्वीकृत हुए हैं–
  - मराठी से (1) – ळ
  - अपभ्रंश से (2) – ड़ ढ़
  - फारसी से (5) – क़, ख़, ग़, ज़, फ़ (नुक्ते के साथ)
- इन सभी इकतालीस (41) व्यंजनों के अतिरिक्त हिन्दी में चार संयुक्त व्यंजन स्वीकृत हैं- क्ष, त्र, ज्ञ, श्र।
- **इस प्रकार हिन्दी भाषा में कुल 45 व्यंजन स्वीकार किये गए हैं।**

अध्याय 4

शब्द-रचना

व्युत्पत्ति या बनावट के आधार पर शब्द प्रमुखतः तीन प्रकार के होते हैं- रूढ़, यौगिक और योगरूढ़ शब्द।

4.1 रूढ़ शब्द

ऐसे शब्द जो वर्णों के योग से बने हों तथा किसी विशेष प्रकार के अर्थ को प्रकट करते हों, परंतु स्वतंत्र अवस्था में उनके वर्णों या खंडों का कोई अर्थ न होता हो, 'रूढ़ शब्द' कहलाते हैं।

जैसे- कल, पर

उपर्युक्त शब्द के टुकड़े या खंड 'क', 'ल', 'प', 'र' को देखने पर ज्ञात होता है कि इन टुकड़ों का कोई अर्थ नहीं है। अतः ये टुकड़े निरर्थक हैं।

इसी प्रकार अन्य रूढ़ शब्द- चूहा, राम, काला, गाय, हाथ, पैर, नाम, घर, दिन, शेर, कुत्ता, कमल, प्रासाद, फूल, सोना, छोटा, घोड़ा, बल इत्यादि।

4.2 यौगिक शब्द

यौगिक शब्द ऐसे शब्द होते हैं, जो कई सार्थक (दो या दो से अधिक) शब्दों के मेल से बने होते हैं।

जैसे-

- राजपुरुष = राज + पुरुष
- हिमालय = हिम + आलय
- देवदूत = देव + दूत
- पाठशाला = पाठ + शाला
- विद्यालय = विद्या + आलय
- शौचालय = शौच + आलय
- विज्ञान = वि + ज्ञान
- ईश्वर = ईश् + वर
- राजकमल = राज + कमल

4.3 योगरूढ़ शब्द

योगरूढ़ शब्द ऐसे शब्द होते हैं, जो यौगिक तो होते हैं परंतु वे किसी सामान्य अर्थ को न प्रकट कर किसी विशेष प्रकार के अर्थ को प्रकट करते हैं।

जैसे- पंकज, दशानन आदि।

पंकज = पंक + ज (कीचड़ में उत्पन्न होने वाला)

अपने सामान्य अर्थ में प्रचलित न होकर 'कमल' के अर्थ में रूढ़ हो गया। अतः पंकज योगरूढ़ शब्द है।

इसी प्रकार दशानन = दश + आनन (दस मुख वाला)

अपने सामान्य अर्थ में प्रचलित न होकर 'रावण' के अर्थ में रूढ़ हो गया। अतः दशानन योगरूढ़ शब्द है।

अन्य महत्त्वपूर्ण योगरूढ़ शब्द-

जलद, चक्रपाणि, लंबोदर, पीतांबर, नीलकंठ, हिमालय, चौमासा, चारपाई इत्यादि।

अति लघुउत्तरीय प्रश्न

1. योगरूढ़ शब्दों का आशय स्पष्ट करते हुए पाँच योगरूढ़ शब्दों का उल्लेख कीजिये।
2. यौगिक और योगरूढ़ शब्द का अर्थ स्पष्ट करते हुए उनके दो-दो उदाहरण दीजिये।
3. रूढ़ शब्द का आशय स्पष्ट करते हुए पाँच शब्दों का उल्लेख कीजिये।

अध्याय
5

वाक्य-रचना

वाक्य-रचना के आधार पर सर्वप्रथम यह समझना ज़रूरी होता है कि साधारणत: वाक्य परिवर्तन क्या है? वाक्य परिवर्तन को स्पष्ट करते हुए कहा जाता है कि वाक्य के अर्थ में किसी प्रकार का बदलाव किये बिना उस वाक्य को एक प्रकार के वाक्य से दूसरे प्रकार के वाक्य में बदलना 'वाक्य परिवर्तन' कहलाता है। इस अध्याय के अंतर्गत सरल वाक्य, मिश्र वाक्य एवं संयुक्त वाक्य को स्पष्ट किया गया है तथा संबंधित उदाहरणों को प्रस्तुत किया गया है।

5.1 सरल वाक्य

सरल वाक्य या साधारण वाक्य उस वाक्य को कहा जाता है, जिसमें एक उद्देश्य (कर्त्ता) तथा एक विधेय (क्रिया) होता है।

उदाहरण–

(i) राम फुटबाल खेलता है।

(ii) मुझे जाना है।

(iii) राम लिखता है।

(iv) उसने कहा था।

उपर्युक्त उदाहरणों पर ध्यान देने से यह स्पष्ट हो जाता है कि इन सभी वाक्यों में केवल एक कर्त्ता एवं एक क्रिया है अर्थात् एक उद्देश्य तथा एक विधेय है। अत: ये सभी सरल/साधारण/सामान्य वाक्य हैं।

5.2 मिश्र वाक्य

मिश्र वाक्य उस वाक्य को कहते हैं, जिसमें एक प्रधान उपवाक्य होता है और एक या उससे अधिक आश्रित उपवाक्य होते हैं। इस वाक्य को और सरल रूप में इस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है– जिस वाक्य में मुख्य उद्देश्य और मुख्य विधेय के अतिरिक्त एक या उससे अधिक सहायक क्रियाएँ हों, उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। यहाँ चर्चित 'मुख्य उद्देश्य' और 'मुख्य विधेय' से आशय इन दोनों से बनने वाले वाक्यों से है और इन्हें क्रमश: 'मुख्य उपवाक्य' और 'आश्रित उपवाक्य' के अलावा 'मुख्य वाक्य' तथा 'सहायक वाक्य' के नामों से भी जाना जाता है। मुख्य और आश्रित वाक्य/वाक्यों को जोड़ने हेतु समुच्चय बोधक अव्यय' का प्रयोग किया जाता है। इस तथ्य को इस उदाहरण से सही तरह से समझा जा सकता है—वह कौन-सा भारतीय है, जिसने 'क्रिकेट-ईश्वर' सचिन तेंदुलकर का नाम न सुना हो। इस उदाहरण—वाक्य में मिश्र वाक्य के उपर्युक्त अर्थ/परिभाषा के दृष्टिकोण से 'वह कौन-सा भारतीय है' **मुख्य उद्देश्य/मुख्य उपवाक्य/प्रधान उपवाक्य/मुख्य वाक्य/प्रधान वाक्य** है, जबकि शेष वाक्य "जिसने 'क्रिकेट-ईश्वर' सचिन तेंदुलकर का नाम न सुना हो।" **मुख्य विधेय/आश्रित सहायक वाक्य/सहायक वाक्य** है। इसी प्रकार अन्य उदाहरण है– नवीन ने कहा कि कल मैं कार्यालय नहीं जाऊँगा, क्योंकि मैं अस्वस्थ हूँ। इस उदाहरण-वाक्य में पहले के उदाहरण से भिन्न तीन भाग हैं—

- नवीन ने कहा- (मुख्य उपवाक्य/प्रधान उपवाक्य)
- कल मैं कार्यालय नहीं जाऊँगा - (सहायक उपवाक्य/आश्रित उपवाक्य)
- क्योंकि मैं अस्वस्थ हूँ - (सहायक उपवाक्य/आश्रित उपवाक्य)

इन उदाहरणों पर ध्यान देने से यह स्पष्ट होता है कि मिश्र वाक्य में प्रयुक्त एक या उससे अधिक सहायक/आश्रित उपवाक्य पूर्ण, स्पष्ट एवं सार्थक अर्थ देने या भाव प्रगट करने में सक्षम नहीं होते हैं। इनकी पूर्णता, स्पष्टता एवं सार्थकता मुख्य वाक्य/प्रधान वाक्य/उपवाक्य के साथ जुड़ने से होती है। इस प्रकार संक्षेप में यही कहा जा सकता है कि मिश्र वाक्य एक साथ एक से अधिक भावाभिव्यक्ति का एक महत्त्वपूर्ण माध्यम है, जो एकाधिक उपवाक्यों से युक्त होता है।

मिश्र वाक्य में कुल तीन प्रकार के गौण (आश्रित) उपवाक्य होते हैं, जो इस प्रकार हैं–

- संज्ञा उपवाक्य
- विशेषण उपवाक्य
- क्रियाविशेषण उपवाक्य

अध्याय
6

अर्थ के अनुसार विशेष वाक्य

अर्थ के आधार पर वाक्य के आठ भेद/प्रकार सर्वमान्य एवं सर्वस्वीकृत हैं। इस अध्याय में वाक्य के इन सभी भेदों के मूल लक्षण एवं वाक्य परिवर्तन के नियम उदाहरण के साथ बताए गए हैं।

6.1 सकारात्मक (विधिवाचक) वाक्य

सकारात्मक या विधिवाचक या विधानवाचक वाक्य ऐसे वाक्यों को कहा जाता है, जिनमें किसी सामान्य बात के होने का सरल बोध हो।

जैसे–

(i) उसने सब उपाय किये।
(ii) मैं लेखन करता हूँ।
(iii) कैसा सुंदर दृश्य है!
(iv) भारत एक देश है।
(v) दशरथ अयोध्या के राजा थे।
(vi) राम के पिता का नाम दशरथ था।

सकारात्मक/विधिवाचक वाक्य से नकारात्मक निषेधवाचक वाक्य में परिवर्तन संबंधी प्रमुख उदाहरण निम्नलिखित हैं–

6.2 नकारात्मक (निषेधवाचक) वाक्य

नकारात्मक या निषेधवाचक वाक्य, ऐसे वाक्यों को कहा जाता है जिनमें किसी कार्य के न होने (निषेध) का बोध होता है। साधारणत: ऐसे वाक्यों में निषेध सूचक/बोधक शब्द/वर्ण **'नहीं', 'न', 'मत'** आदि का प्रयोग होता है।

जैसे–

(i) राम घर नहीं गया।
(ii) तुमने कार्य नहीं किया।
(iii) मैंने पढ़ाई पूरी नहीं की।
(iv) तुमने मेरी किताब नहीं दी।
(v) उसने कुछ उपाय नहीं किये।

नकारात्मक/निषेधवाचक वाक्य से सकारात्मक/विधिवाचक वाक्य में परिवर्तन से संबंधित महत्त्वपूर्ण उदाहरण निम्नलिखित हैं–

सकारात्मक/विधिवाचक वाक्य से नकारात्मक/निषेधवाचक वाक्य में परिवर्तन	
विधिवाचक वाक्य	वह मुझसे श्रेष्ठ है।
निषेधवाचक वाक्य	मैं उससे श्रेष्ठ नहीं हूँ।
विधिवाचक वाक्य	सारे कर्मी अधिकारी के विचार से सहमत हैं।
निषेधवाचक वाक्य	सारे कर्मी अधिकारी के विचार से असहमत नहीं हैं।
विधिवाचक वाक्य	मुझे पूर्ण विश्वास था कि पत्र अशोक ने नहीं लिखा होगा।
निषेधवाचक वाक्य	मुझे विश्वास नहीं था कि अशोक ने पत्र लिखा होगा।
विधिवाचक वाक्य	मुझे अत्यधिक खुशी है कि तुम्हें पिता बनने का सौभाग्य मिला।
निषेधवाचक वाक्य	मुझे अत्यधिक खुशी है कि तुम पिता बनने के सौभाग्य से वंचित नहीं रहे।
विधिवाचक वाक्य	संत सदैव सत्य बोलते हैं।
निषेधवाचक वाक्य	संत कभी भी असत्य नहीं बोलते हैं।
विधिवाचक वाक्य	उत्तर भारतीय लोग दक्षिण भारतवासियों से ज़्यादा गोरे होते हैं।
निषेधवाचक वाक्य	उत्तर भारतीय लोग दक्षिण भारतवासियों से ज़्यादा काले नहीं होते हैं।
विधिवाचक वाक्य	मेरे पास दो-चार पुस्तकें ही हैं।
निषेधवाचक वाक्य	मेरे पास दो-चार पुस्तकों से अधिक नहीं हैं।

अध्याय
7

शब्द-रूप

इस अध्याय में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा राज्य प्रशासनिक सेवा परीक्षा हेतु निर्धारित पाठ्यक्रम से संबंधित 'सामान्य हिन्दी' के पाठ्यक्रम से संबंधित 'शब्द-रूप' नामक अध्याय के अंतर्गत संज्ञा, लिंग, वचन, कारक एवं सर्वनाम की सटीक व्याख्या उदाहरणों के साथ की गई है।

7.1 संज्ञा

परिभाषा

जिस शब्द से किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जीव या भाव आदि के नाम का बोध हो, उस विकारी शब्द को **संज्ञा** कहा जाता है।

डॉ. भोलानाथ तिवारी के अनुसार, "किसी प्राणी, चीज़, गुण, काम या भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं।"

उदाहरण- सुमन, राम, श्याम, गंगा, कनाडा आदि।

संज्ञा के भेद

संज्ञा के कुल पाँच प्रमुख भेद माने गए हैं-

संज्ञा के भेद

व्यक्तिवाचक संज्ञा | जातिवाचक संज्ञा | भाववाचक संज्ञा | समूहवाचक संज्ञा | द्रव्यवाचक संज्ञा

1. व्यक्तिवाचक संज्ञा

किसी एक व्यक्ति या वस्तु या स्थान का बोध कराने वाले शब्द को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे–राम, गंगा, भारत, दिल्ली आदि।

(i) **व्यक्तियों के नाम :** राम, मुकेश, मोहन, सीता आदि।
(ii) **दिशाओं के नाम :** पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण आदि।
(iii) **देशों के नाम :** भारत, अमेरिका, कनाडा आदि।
(iv) **शहरों के नाम :** दिल्ली, पटना, इलाहाबाद आदि।
(v) **समुद्रों के नाम :** काला सागर, भूमध्य सागर, प्रशांत महासागर आदि।
(vi) **नदियों के नाम :** गंगा, यमुना, कृष्णा, कावेरी आदि।

2. जातिवाचक संज्ञा

जिन शब्दों से एक ही प्रकार की वस्तुओं, व्यक्तियों की पूरी जाति का बोध हो, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे–मनुष्य, घर, नदी, देश आदि।

जातिवाचक संज्ञाओं के उदाहरण निम्नलिखित हैं-

मनुष्य: पुरुष, स्त्री, लड़का, लड़की, भाई, चाचा इत्यादि।

पशु-पक्षी : गाय, बकरी, शेर, मोर, तोता इत्यादि।

वस्तुओं के नाम : मेज़, कुर्सी, किताब आदि।

पदों या व्यवसायों के नाम : शिक्षक, लेखक, पत्रकार आदि।

अध्याय 8

संधि एवं समास

संधि शब्द का अर्थ 'मेल' से है। दो निकटवर्ती या समीपवर्ती वर्णों के मेल से जो विकार (परिवर्तन) होता है, वह 'संधि' कहलाता है। वहीं संधि के नियमानुसार मिले वर्णों को पुनः मूल अवस्था में ले जाने की क्रिया को संधि-विच्छेद कहते हैं।

8.1 संधि

संधि के पहले वर्ण के अनुसार इसके तीन भेद किये जाते हैं, जो निम्नलिखित हैं-

- स्वर संधि
- व्यंजन संधि
- विसर्ग संधि

स्वर संधि

दो स्वरों के मेल से जो विकार (परिवर्तन) उत्पन्न होता है, वह **स्वर संधि** कहलाता है।

उदाहरणः (i) विद्या + आलय = विद्यालय, (ii) महा + आत्मा = महात्मा

स्वर संधि के पाँच भेद (प्रकार) होते हैं, जो निम्नलिखित हैं-

स्वर संधि के भेद

- दीर्घ संधि
- गुण संधि
- वृद्धि संधि
- यण संधि
- अयादि संधि

दीर्घ संधि

इस प्रकार की संधि में जिस स्थान पर अ/आ के पश्चात् अ/आ, उ/ऊ के पश्चात् उ/ऊ एवं इ/ई के पश्चात् इ/ई आए तो ये दोनों शब्द मिलकर दीर्घ स्वर हो जाते हैं, **जैसे-**

अ + अ = आ	अ + आ = आ
● गीत + अंजलि = गीतांजलि	● आम + आशय = आमाशय
● स्व + अर्थी = स्वार्थी	● आर्य + आवर्त्त = आर्यावर्त्त
● मत + अनुसार = मतानुसार	● गर्भ + आशय = गर्भाशय
● परम + अर्थ = परमार्थ	● भ्रष्ट + आचार = भ्रष्टाचार
● प्र + अंगन = प्रांगण	● हास्य + आस्पद = हास्यास्पद
आ + अ = आ	**आ + आ = आ**
● निशा + अंत = निशांत	● महा + आशय = महाशय
● सत्ता + अंतरण = सत्तांतरण	● वार्ता + आलाप = वार्तालाप
● परीक्षा + अर्थी = परीक्षार्थी	● प्रेरणा + आस्पद = प्रेरणास्पद
● रचना + अवली = रचनावली	● महा + आत्मा = महात्मा
● दिशा + अंतर = दिशांतर	● प्रेक्षा + आगार = प्रेक्षागार
● सुधा + अंशु = सुधांशु	

अध्याय 9

क्रिया

उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा राज्य प्रशासनिक सेवा परीक्षा के लिये 'सामान्य हिन्दी' प्रश्नपत्र के लिये निर्धारित पाठ्यक्रम को ध्यान में रखते हुए 'क्रियाएँ' नामक अध्याय के अंतर्गत क्रिया एवं उनके प्रकार, काल एवं उनके प्रकार, वाच्य एवं उनके प्रकार, अव्यय एवं उनके प्रकार तथा क्रिया-विशेषण आदि को स्पष्ट रूप से प्रस्तुत किया गया है।

9.1 क्रिया एवं उनके प्रकार

सामान्य अर्थों में जब किसी शब्द के द्वारा किसी कार्य के होने या करने का भाव उत्पन्न हो, उसे क्रिया कहा जाता है।

उदाहरण- खाना, टहलना, पढ़ना आदि।

क्रिया के रूप, लिंग एवं वचन आदि के अनुसार बदलते रहते हैं इसलिये उसे विकारी शब्द माना गया है। क्रिया के मूल में धातु निहित होती है। यदि 'लिखना' क्रिया को लिया जाए तो इसकी मूल धातु 'लिख' है तथा 'ना' प्रत्यय है। धातु 'क्रिया' पद के उस भाग को कहा जाता है जो किसी क्रिया के लगभग सभी रूपों में पाया जाता है। शब्द निर्माण की दृष्टि से धातुएँ दो प्रकार की होती हैं-

- मूल धातु
- यौगिक धातु

मूल धातु

मूल धातु उसे कहा जाता है जो किसी पर आश्रित न होकर स्वतंत्र होती है।

जैसे: खा, जा, गा, रो आदि।

यौगिक धातु

यौगिक धातु उन धातुओं को कहा जाता है जिनका निर्माण 'प्रत्यय' जोड़कर किया जाता है।

जैसे: लिखना से लिखा, पढ़ना से पढ़ा आदि।

क्रिया के प्रकार (भेद)

रचना की दृष्टि से क्रिया के दो प्रमुख भेद होते हैं, जो निम्नलिखित हैं–

1. अकर्मक क्रिया 2. सकर्मक क्रिया

1. अकर्मक क्रिया

जिस क्रिया को किसी कर्म की आवश्यकता नहीं होती तथा उसके कार्य का फल कर्त्ता पर ही पड़े, उसे **अकर्मक क्रिया** कहते हैं। उदाहरणार्थ–

(i) राम सोता है। यहाँ सोने का फल राम पर ही पड़ता है।

2. सकर्मक क्रिया

भाव को स्पष्ट करने के लिये जिस क्रिया को कर्म की आवश्यकता पड़ती है, उसे **सकर्मक क्रिया** कहते हैं। उदाहरणार्थ–

राम आम खाता है।

यहाँ राम कर्त्ता है। यहाँ राम के खाने के क्रिया का असर आम पर पड़ता है।

कभी-कभी सकर्मक क्रिया का कर्म छिपा रहता है।

जैसे- राम गाता है। यहाँ गीत छिपा है।

अध्याय 10

अनेकार्थी/अनेकार्थक शब्द

एक से अधिक अर्थ वाले शब्द **अनेकार्थी या अनेकार्थक** शब्द कहलाते हैं। उदाहरण के लिये एक शब्द **'अंकुश'** लें और इसके एक से अधिक अर्थों को देखें, जैसे- **नियंत्रण, दबाव, हाथी को चलाने-रोकने के लिये लघु लौह-उपकरण** आदि। अब इन शब्दों के वाक्य प्रयोग पर ध्यान दें-

- आवारा बेटे माता-पिता के **अंकुश** से बाहर होते हैं। **(नियंत्रण)**
- महावत (हाथी-चालक) बिना **अंकुश** के सुरक्षित हाथी की सवारी नहीं कर सकता। **(लौह उपकरण)**
- जागरूक जनता के **अंकुश** से ऑफिस-कर्मचारी समय पर कार्य-निष्पादन कर रहे हैं **(दबाव)**।

इन वाक्यों को देखने पर हमें ज्ञात होता है कि किस प्रकार एक शब्द 'अंकुश' का प्रयोग अनेक अर्थों में किया गया है तथा इन सब वाक्यों में अर्थ की दृष्टि से कोई अस्पष्टता भी नहीं है। वस्तुतः अनेकार्थी या अनेकार्थक शब्द की यही प्रमुख विशेषता है तथा इसी कारण इसकी स्वीकार्यता किसी खास प्रकार के संदेह से रहित है। अच्छे तथा गुणवत्तापूर्ण लेखन और वाचन (वार्ता) में अनेकार्थी या अनेकार्थक शब्दों की प्रयुक्तता स्वाभाविक रूप से अपेक्षित है।

परीक्षोपयोगी महत्त्वपूर्ण शब्द एवं संबंधित अनेकार्थी/अनेकार्थक शब्द	
'अ' वर्ण से संबंधित	
शब्द	**अनेकार्थी/अनेकार्थक शब्द**
अंक	गिनती की संख्या, गोद, पत्र-पत्रिका का नंबर, नाटक का अध्याय
अंकुश	नियंत्रण, दबाव, हाथी को चलाने-रोकने का लघु लौह-उपकरण
अंकोर	कलेवा, गोद, दुपहरी, भेंट, रिश्वत
अंग	अंश, शरीर का कोई अवयव, शाखा, टुकड़ा, पक्ष, भेद
अंचल	शासन-इकाई (प्रादेशिक), साड़ी का पल्लू, सिरा, छोर
अंत	मृत्यु, समाप्ति, भेद/रहस्य, सिरा
अंतरंग	आंतरिक, गुप्त, घनिष्ठ
अंतर	भिन्नता, दूरी, फर्क, अंतःकरण, मध्यवर्ती समय
अंब	आम का वृक्ष, आम का फल, माता, दुर्गा
अंबक	आँख, तांबा, पिता
अंबर	आकाश, बादल, वस्त्र
अंबुज	कमल, बेंत, ब्रह्मा, वज्र, शंख
अंभोज	मोती, कमल, सारस, चाँद
अकड़ना	टेढ़ा होना, घमंड करना, दुराग्रह करना
अर्क	सूर्य, इंद्र, काढ़ा, स्फटिक, मदार का पौधा
अथ	आगे, अगुवा, सिरा, श्रेष्ठ, शिखर, नोक, पहले, मुख्य
अग्नि	आग, पिंगल, मात्रा, कौशल, वृद्धि, जिह्वा, विभूति, तेज, लीला, वर्णवृत्त
अड्डा	ठिकाना, चौखट/चौखटा, कबूतर-खोप (घर)
अच्युत	अविनाशी, स्थिर, कृष्ण, विष्णु
अज	बकरा, ब्रह्मा-विष्णु-महेश, जीव, मेष राशि
अजया	बकरी, भाँग (एक मादक वनस्पति)

अध्याय 11

विलोम शब्द

सामान्य अर्थों में किसी शब्द के विपरीत या उल्टे अर्थ का बोध कराने वाले शब्द को **विलोम** या **विपरीतार्थक शब्द** कहते हैं। विलोम शब्द सजातीय शब्द होते हैं, जैसे– संज्ञा का विलोम संज्ञा, क्रिया का विलोम क्रिया, विशेषण का विलोम विशेषण होता है।

सामान्यतया अ, अप, अन्, निस, निर, वि, प्रति, दुर, दुस्, कु आदि उपसर्गों के प्रयोग से विपरीतार्थक शब्दों का निर्माण होता है। इसके अलावा स्वतंत्र रूप से भी विपरीतार्थक शब्दों का निर्माण किया जाता है, जैसे– लाभ का विलोम हानि। अगर 'लाभ' का विलोम 'अलाभ' लिया जाए। तो इससे भाषा की सुंदरता प्रभावित होगी, जबकि 'अलाभ' शब्द 'लाभ' का विपरीतार्थक शब्द है। अत: उपसर्गों तथा स्वतंत्र अर्थ वाले शब्दों के द्वारा प्रचलित सुंदरतम भाषा-स्थिति के साथ विलोम का चयन किया जाता है।

विगत वर्षों की परीक्षाओं में पूछे गए विलोम शब्द

शब्द	विलोम	शब्द	विलोम	शब्द	विलोम	शब्द	विलोम
प्रतिकूल	अनुकूल	उपमेय	अनुपमेय	विवेकी	अविवेकी	श्रोता	वक्ता
अध्यवसाय	अनध्यवसाय	सुलभ	दुर्लभ	सृष्टि	प्रलय	न्यून	अधिक
बर्बर	सभ्य	दीर्घायु	अल्पायु	स्वजाति	विजाति	धृष्ट	विनम्र, विनीत
ध्वंस	निर्माण	तृष्णा	वितृष्णा, तृप्ति	चुस्त	ढीला	स्थिर	अस्थिर
अनिवार्य	ऐच्छिक	अल्पज्ञ	बहुज्ञ	सुमति	कुमति	विभव	पराभव
यथार्थ	कल्पित, काल्पनिक	भूगोल	खगोल	अभिशाप	वरदान	जारज	औरस
चिरंतन	नश्वर	सहयोगी	विरोधी	उपादेय	अनुपादेय	मसृण	रुक्ष
नैसर्गिक	कृत्रिम	जोड़	घटाव	अधोगामी	ऊर्ध्वगामी	स्वर्ग	नरक
नर	नारी	पोषक	शोषक	विराट्	क्षुद्र/सूक्ष्म	इहलौकिक	पारलौकिक
विनीत	उद्धत	विधि	निषेध	संधि	विग्रह	संन्यास	गृहस्थ
आविर्भाव	तिरोभाव	कर्मण्य	अकर्मण्य	महात्मा	दुरात्मा	अति	अल्प
तरुण	वृद्ध	मंडन	खंडन	आगामी	विगत	ग्रहण	अर्पण
ह्रस्व	दीर्घ	स्थावर	जंगम	प्रधान	गौण	सरल	कठिन
शुष्क	आर्द्र, सिक्त	अनंत	अंत	विशेष	सामान्य	प्राचीन	अर्वाचीन, नवीन
संपन्न	विपन्न	थोक	फुटकर	समस्या	समाधान	यश	अपयश
उपेक्षा	अपेक्षा	पुरस्कार	दंड	अंतर्द्वंद्व	बहिर्द्वंद्व	संश्लेषण	विश्लेषण
गणतंत्र	राजतंत्र	कीर्ति	अपकीर्ति	अलभ्य	लभ्य	भाव	अभाव
परतंत्र	स्वतंत्र	असीम	ससीम	अपव्यय	मितव्यय	दु:खी	सुखी
साहचर्य	अलगाव	भिज्ञ/अभिज्ञ	अनभिज्ञ	उत्कृष्ट	निकृष्ट	दानव	मानव
स्पृश्य	अस्पृश्य	पुष्ट	क्षीण	ग्रामीण	शहरी	आदान	प्रदान
आवेशित	अनावेशित	गौरव	लाघव	निर्दय	सदय	अगम	सुगम
अर्जन	व्ययन	समास	व्यास	अवनत	उन्नत	शुक्ल	कृष्ण

अध्याय
12

पर्यायवाची शब्द

समान अर्थ वाले शब्द 'पर्यायवाची' शब्द कहलाते हैं। संस्कृत के अधिकांश शब्दों को आत्मसात् करने के कारण हिन्दी में पर्यायवाची शब्दों की बहुलता है। पर्यायवाची शब्दों का वाक्य प्रयोग के अनुसार ही उचित निरूपण होता है।

विगत वर्षों की परीक्षाओं में पूछे गए पर्यायवाची शब्द

शब्द	पर्यायवाची	शब्द	पर्यायवाची
आम	सहकार, रसाल, आम्र, अंब, अमृतफल, पिकबंधु, पियुम्बु, अतिसौरभ	प्रशंसा	स्तुति, तारीफ, बड़ाई, सराहना
अग्नि	आग, अनल, पावक, धूम्रकेतु, धनंजय, हुताशन, कृशानु, रोहिताश्व, वैश्वानर, वह्नि	तरंग	उर्मि, लहर, वीचि, हिलोर,
पत्थर	प्रस्तर, पाहन, उपल, अश्म, संग, पाषाण	जंगल	कांतार, विपिन, अरण्य, कानन, दाव, अटवी, वन
यमुना	सूर्यजा, अर्कजा, रविजा, कालिंदी, रवितनया, कृष्णा, हंससुता, भानुतनया	किनारा	सिरा, छोर, तीर, तट
समुद्र	जलधि, उदधि, पारावार, नदीश, पयोनिधि, जलधाम, अब्धि, जलनिधि	भिक्षुक	मधुकर, याचक, भिखारी, भिखमंगा
नदी	निम्नगा, अपगा, कूलवती, तरंगिनी, सिंधुगामिनी, तटिनी, सरिता, निम्ना, स्रोतस्विनी	हाथी	गज, कुंजर, करी, दंती, हस्ति, वितुंड, द्विरद, गयंद, कुंभी, मतंग, सिंधुर, नाग
स्वर्ण	हेम, हाटक, हिरण्य, जोतक, पुष्कल, रुक्म, जातरूप	कामदेव	मदन, अनंग, पंचशर, रतिनाथ, कामग, मकरध्वज, मनोभव, मनोज, कंदर्प, मार, स्मर, पुष्पधन्वा, मन्मथ, कुसुमशर, अतनु
इंद्र	शचीपति, मधवा, शक, सहस्राक्ष, सुरेंद्र, कौशिक, अमरपति, वासव, पुरुहुत, पुरंदर	जीभ	रसना, जिह्वा, रसज्ञा, रसिका, चंचला
		नैसर्गिक	प्राकृतिक, स्वाभाविक, वास्तविक
घर	निकेतन, निलय, आयतन, अयन, गेह, गृह	हाथ	हस्त, कर, पाणि, भुजा, बाहु
मछली	झष, सफरी, मीन, मत्स्य	चांदनी	चंद्रातप, ज्योत्स्ना, कौमुदी, चंद्रकला, चंद्रिका, अमृत-तरंगिणी, चंप्रमरीची
कपड़ा	पट, अंबर, वस्त्र, वसन, परिधान, चीर, दुकूल	सरस्वती	महाश्वेता, वागीशा, भारती, वीणापाणि, इला, कर्णिका, ब्राह्मी, गिरा, निधात्री, बागेश्वरी, शारदा
तालाब	सर, पुष्कर, सरोवर, सरसी, ताल, तड़ाग, पद्माकर, कासार, ह्रद	लक्ष्मी	पद्मा, रमा, भार्गवी, सिंधुजा, हरिप्रिया, इंदिरा
प्रभात	प्रातः, सवेरा, उषा, अरुणोदय	विष्णु	जनार्दन, विश्वंभर, केशव, गोविंद, नारायण, अच्युत, चक्रपाणि, मुकुंद, गरुड़ध्वज, चतुर्भुज, जलाशायी, कमलेश, कमलापति, कमलाकांत
दर्पण	शीशा, आईना, प्रतिबिंबक, प्रतिमान	बगीचा	आराम, वाटिका, उपवन, उद्यान, बाग, निकुंज, फुलवारी

अध्याय
13

मुहावरे और लोकोक्तियाँ (कहावतें)

हिन्दी के 'मुहावरा' शब्द की उत्पत्ति अरबी भाषा के 'मुहावर:' शब्द से हुई है। 'मुहावर:' शब्द का अर्थ होता है– अभ्यास करना। इस प्रकार, हिन्दी में 'मुहावरा' का अर्थ बातचीत, बोलचाल या अभ्यास है, जो भाषायी अभिव्यक्ति में विलक्षण और लाक्षणिक अर्थ में प्रयोग किया जाता है।

इसी प्रकार **कहावत** का शाब्दिक अर्थ होता है– **कही हुई बात।** इस अर्थ में वही बातें कहावत होती हैं, जिनमें जीवन के अनुभव या ज्ञान की बातें संक्षिप्त लेकिन विलक्षण ढंग से कही गई हों तथा लोकोक्ति का शाब्दिक अर्थ– लोक (जनसामान्य) की उक्ति (कथन) है।

13.1 मुहावरे

मुहावरा ऐसे पदबंध या वाक्यांश को कहते हैं, जिसका अर्थ सामान्य या शाब्दिक न होकर विलक्षण और लाक्षणिक होता है। अपने इस विशेष गुण के कारण यह सदियों से बोलचाल एवं लेखन में प्रयोग होता आ रहा है।

उदाहरण–

'मच्छर मारना' और 'चांदी का जूता मारना' के शाब्दिक अर्थ क्रमश: न तो मच्छर को मारना है और न ही जूते से मारना। वस्तुत: इन दोनों मुहावरों के अर्थ क्रमश: 'खाली बैठकर समय काटना' और 'धन का लोभ देना' है। यही कारण है कि वर्तमान समय में सामान्य या गुणवत्तापूर्ण वार्ता और लेखन में मुहावरे का प्रयोग अधिकाधिक होता है।

अन्य हिन्दी विद्वानों के अनुसार–

"जो वाक्यांश अपने सामान्य अर्थ को न बताकर किसी विशेष अर्थ को बतलाता है और प्राय: क्रिया का काम देता है, उसे वाग्धारा या मुहावरा कहते हैं।" **(श्याम चंद्र कपूर)**

"ऐसा वाक्यांश जो सामान्य अर्थ का न बोध कराकर किसी विलक्षण अर्थ की प्रतीति कराए, मुहावरा कहलाता है।"

(डॉ. वासुदेव नंदन प्रसाद)

"मुहावरा भाषा विशेष में प्रचलित उस अभिव्यक्त इकाई को कहते हैं, जिसका प्रयोग प्रत्यक्षार्थ से अलग रूढ़ि लक्ष्यार्थ के लिये किया जाता है।" **(डॉ. भोलानाथ तिवारी)**

मुहावरों के प्रयोग संबंधी अशुद्धियाँ एवं निवारण

मुहावरे के प्रारंभिक विवरण में हमने देखा कि मुहावरा सामान्यजन की भावनाओं की अभिव्यक्ति का माध्यम होता है। यही सामान्यजन मुहावरों के जन्म के स्रोत हैं, मगर वर्तमान समय में सामान्यजन के अलावा उच्च शिक्षित एवं विद्वान वर्ग भी भाषायी गुणवत्ता एवं प्रासंगिक चमत्कारिता के लिये इसका अधिकाधिक प्रयोग करने लगे हैं। इस प्रकार, मुहावरों के व्यापक प्रचलन से उनके प्रयोग में अशुद्धियाँ भी पाई जाती हैं। अशुद्ध मुहावरे के प्रयोग से मुहावरा अर्थहीन हो जाता है, वक्ता या लेखक के कथन ऐसे मुहावरों की प्रयुक्तता के बावजूद प्रभावहीन रह जाते हैं। अत: यहाँ मुहावरों के शुद्ध व अशुद्ध प्रयोग प्रस्तुत हैं–

मुहावरे के शब्दों का स्थान-परिवर्तन

मुहावरे में प्रयुक्त शब्दों के क्रम-परिवर्तन कर देने से मुहावरे अशुद्ध एवं अर्थहीन हो जाते हैं और कथन इसकी प्रयुक्तता के बाद भी इसके प्रभाव एवं औचित्य से अछूता रह जाता है। निम्नांकित उदाहरणों पर ध्यान दें–

अध्याय 14

शब्द-भेद [तत्सम, तद्भव, देशज (देशी), विदेशज (विदेशी) एवं संकर शब्द]

विश्व की समृद्ध भाषाओं की श्रेणी में हिन्दी भाषा का महत्त्वपूर्ण स्थान है। विश्व भाषा के रूप में मान्य अंग्रेज़ी भाषा सहित, विश्व की अन्य प्रमुख भाषाओं– फ्रेंच, यूनानी, स्पेनिश, रशियन, जर्मन, चीनी, जापानी इत्यादि ने अपने-अपने मूल शब्दों के अलावा अन्य भाषाओं के अधिकाधिक शब्दों का रूप-परिवर्तन कर अपनी-अपनी भाषा के शब्द-भंडार को वृहद् एवं विस्तृत किया है। इस संदर्भ में हिन्दी भाषा भी कोई अपवाद नहीं है। इसमें भी अन्य भाषाओं के अधिकाधिक शब्दों को या तो यथावत् या फिर उनमें थोड़ा-बहुत परिवर्तन करके शब्द-भंडार को समृद्ध किया गया है।

- संस्कृत हिन्दी भाषा की जननी है। इसका शब्द-भंडार संस्कृत के मूल शब्द (तत्सम) और उसके परिवर्तित रूप (तद्भव) के शब्दों से भरा हुआ है।
- उत्पत्ति के आधार पर शब्द-भेद के अंतर्गत शब्द के पाँच प्रकारों को सम्मिलित किया गया है–

शब्द-भेद के प्रकार

- तत्सम
- तद्भव
- देशज (देशी)
- विदेशज (विदेशी)
- संकर

तत्सम

तत्सम = तत् + सम = उसके समान, यहाँ 'उसके' से आशय 'संस्कृत' से है। इस प्रकार तत्सम शब्द संस्कृत शब्द या उनके समान शब्द हैं और हिन्दी में इनका प्रयोग संस्कृत के समान ही होता है। ऐसे तत्सम शब्दों के कुछ उदाहरण हैं– **अग्नि, अंक, स्कंध, अश्रु, आम्र, अष्ट** इत्यादि। यदि संक्षिप्त रूप में कहें तो जो शब्द संस्कृत से उनके मूल रूप में लिये गए हैं और हिन्दी में इसी मूल रूप में प्रयुक्त होते हैं, वे तत्सम शब्द हैं।

तद्भव

तद्भव = तत् + भव = उससे उत्पन्न; यहाँ उससे आशय संस्कृत से है। इस प्रकार ऐसे शब्द जो प्राकृत और संस्कृत से विकृत होकर हिन्दी में आए हैं, 'तद्भव' कहे जाते हैं, यथा–**अच्छर, कड़ुआ, काठ, घिन, चाम, जोगी** इत्यादि।

देशज (देशी)

देशज शब्द से आशय देश में बोली जाने वाली बोलियों के उन शब्दों से है, जो हिन्दी भाषा के विकास के काल-क्रम में उसके गर्भगृह (शब्द-भंडार) में समाहित हो गए। वस्तुत: ये वे शब्द हैं जिनकी व्युत्पत्ति का पता नहीं चलता। प्रचलन में ये शब्द प्रचुरता से प्रयोग में लाए जाते हैं। ऐसे शब्दों के कुछ उदाहरण हैं– **अक्खड़, अंट-शंट, ऊटपटाँग, किलबिलाना, गुदड़ी, झक्की, हेकड़ी, अचकचाना, अल्लम-गल्लम, ओझल, अचानक, अटपटा, इठलाना, ओढ़र, अलबेला, उमंग, कनकना, कचारना, कटकना, कदली, किचर-पिचर, कनटक, कौंधना, काच, कचोटना, कीनर-मीनर, कराहना, खूसट, खोखला, खर्रा, खद्दर, खुरदरा, खटना, खूँटी, खर्राटा, खटपट, खचाखच, गिड़गिड़ाना, गल्प, गुद्दा, गली, गिरगिट, गरेरी, गेंदा, गुपचुप, गोंद, घेंघा, घमंड, घोंसला, घुमड़ना** इत्यादि।

विदेशज (विदेशी)

विदेशी भाषाओं से हिन्दी भाषा में आए शब्दों को 'विदेशी शब्द' कहा जाता है। भारतीय इतिहास के परिप्रेक्ष्य में इन विदेशी भाषाओं का अनुमान सहज ही लगाया जा सकता है, मसलन-यूरोपीय देशों की भाषाएँ– अंग्रेज़ी, पुर्तगाली, फ्रेंच आदि और अरब देशों की भाषाएँ– अरबी, फारसी, तुर्की आदि।

अध्याय 15

वर्तनी (शब्द-शुद्धि)

कभी आंचलिक प्रभाव के कारण तो कभी लिंग-वचन की अल्पज्ञता के कारण हम शब्दों को लिखने में अशुद्धियाँ कर बैठते हैं। ऐसी अशुद्धियों में वर्ण संबंधी अशुद्धियों को भी नहीं नकारा जा सकता। अक्षर-लेख, संधि, समास, विसर्ग आदि संबंधी अशुद्धियाँ न हों, यह भी ध्यान में रखना आवश्यक है। नीचे इन सभी प्रकार की अशुद्धियों को प्रस्तुत किया गया है-

विगत वर्षों की परीक्षाओं में पूछे गए अशुद्ध-शुद्ध शब्द

अशुद्ध	शुद्ध	अशुद्ध	शुद्ध	अशुद्ध	शुद्ध
अनुग्रहीत, अनुग्रहित	अनुगृहीत	भुजंगनी	भुजंगिनी	स्वस्थ्य	स्वस्थ
आव्हान	आह्वान	बाल्मीक, बाल्मीकि	वाल्मीकि	सन्यासी	संन्यासी
उज्वल, उज्जवल	उज्ज्वल	प्रातकाल	प्रात:काल	सदृश्य	सदृश
गत्यावरोध	गत्यवरोध	प्रदर्शिनी	प्रदर्शनी	पुरुस्कार	पुरस्कार
चिन्ह	चिह्न	प्रज्ज्वलित	प्रज्वलित	पड़ोसन	पड़ोसिन
त्यौहार, त्योंहार	त्योहार	प्रफुल्लित	प्रफुल्ल	निरिक्षण	निरीक्षण
दुरावस्था	दुरवस्था	पुज्य, पूज्यनीय	पूज्य,पूजनीय	धनाड्य	धनाढ्य
निरोग	नीरोग	पक्षीगण	पक्षिगण	दिवारात्रि	दिवारात्र
प्रतिनिधी	प्रतिनिधि	व्यवहारिक	व्यावहारिक	दरिद्री	दरिद्र
मिष्ठान, मिस्ठान	मिष्टान्न	वापिस	वापस	फिसदी	फीसदी
मोलिक	मौलिक	वीभीषण, बिभीषण	विभीषण	तदोपरांत	तदुपरांत
सदोपदेश	सदुपदेश	श्रृंगार, श्रंगार	शृंगार	चांद	चाँद
विशिष्ठ, विशीष्ट	विशिष्ट	संग्रहित, संग्रहीत	संगृहीत	कृत्यकृत्य	कृतकृत्य
वधु	वधू	सप्ताहिक	साप्ताहिक	कवियत्री, कवित्री	कवयित्री
लघुत्तर	लघूत्तर	समाजिक	सामाजिक	ओद्योगिक	औद्योगिक
रविंद्र	रवींद्र	साहित्यक	साहित्यिक	आर्शिवाद, आशिर्वाद	आशीर्वाद
रचयता, रचियता	रचयिता	सृष्टा	स्रष्टा	आधीन	अधीन
मध्यांत, मध्यान्ह	मध्याह्न	सुश्रुषा	सुश्रूषा	गुरू	गुरु
परिभासिक	पारिभाषिक	महंगा	महँगा	महत्व	महत्त्व
साक्षात	साक्षात्	दृष्टा	द्रष्टा	ललायित	लालायित
अहार	आहार	निरापराध	निरपराध	भाष्कर	भास्कर
पुष्पांजली	पुष्पांजलि	मिथलेशकुमारी	मिथिलेशकुमारी	वांगमय	वाङ्मय
वैमनस्यता	वैमनस्य	उत्कर्श	उत्कर्ष	प्रोढ़	प्रौढ़
पोरुषत्व	पौरुष	नोकरी	नौकरी	उनन्यन, उन्यन	उन्नयन
अविष्कार	आविष्कार	देवार्षि	देवर्षि	निशब्द	नि:शब्द
जमाता	जामाता	आननास	अनन्नास	खिवैया	खेवैया
न्यौछावर	न्योछावर	निर्पेक्ष	निरपेक्ष	पर्यावसान	पर्यवसान
षट्दर्शन	षड्दर्शन	अनापेक्षित	अनपेक्षित	किलिष्ट	क्लिष्ट

अध्याय 16

अर्थबोध

अर्थबोध यानी किसी शब्द के अर्थ का बोध या ज्ञान। हिन्दी भाषा में प्रत्येक शब्द का अपना एक अर्थ होता है जिससे उस शब्द को सही रूप में पहचाना जाता है। जैसे एक दूध देने वाले पशु का नाम गाय निर्धारित किया तो बाद में सभी उस पशु को गाय शब्द से जानने लगे।

सामान्य हिन्दी के इस 'अर्थबोध' नामक अध्याय के अंतर्गत महत्त्वपूर्ण समानार्थक/समानार्थी शब्द तथा अर्थभेद को प्रस्तुत किया गया है साथ ही शब्द-युग्म के अंतर्गत ऐसे शब्दों को प्रस्तुत किया गया है जो देखने में लगभग समान होते हैं। परंतु अर्थ के दृष्टिकोण से उनमें असमानता पाई जाती है। ऐसे ही कुछ महत्त्वपूर्ण शब्दों को सरल एवं सहज भाषा में प्रस्तुत किया गया है।

विगत वर्षों की परीक्षाओं में पूछे गए एवं अन्य महत्त्वपूर्ण शब्द एवं उनके अर्थ

शब्द	अर्थ	शब्द	अर्थ	शब्द	अर्थ
प्रतिपदा	पक्ष की पहली तिथि	बलिष्ठ	सर्वाधिक शक्तिशाली	स्थावर	पर्वत, स्थायी, स्थिर
निश्चल	स्थिर, अचल	मृदु	मुलायम, कोमल	अविवेक	नासमझ, अविचारी, विवेकरहित
ग्लानि	दु:ख	व्याधि	पीड़ा, रोग	स्मर	कामदेव, याद, स्मृति
आशीर्वाद	आशीष, आर्शीवचन, मंगलकामना	सुता	बेटी, पुत्री	सत्यवादी	सत्य बोलने वाला
अच्युत	स्थिर (परमात्मा), अटल	व्यसन	दुराचरण, बुरी आदत, लत	एषणा	अभिलाषा, याचना, कामना
जघन्य	बुरा, अति निंदनीय	दिगंबर	नंगा, नग्न (वस्त्रहीन)	स्वयंभू	स्वत: उत्पन्न, स्वयं ही उत्पन्न
अनल	आग, अग्नि	अपमान	तिरस्कार, मानभंग, बेइज्जती	अजिर	शरीर, वायु, आँगन
अंशु	किरण, सूर्य	दैवज्ञ	ज्योतिषी, दैव संबंधी बातों का जानकार।	परिणय	शादी, विवाह
कुलिश	वज्र, कुठार, हीरा	खर	गधा, तिनका, एक राक्षस	कनक	धतूरा, सोना
अवनि	धरती, भू, पृथ्वी	विषाद	अवसाद, दु:ख, उदासी	तरंग	उमंग, मौज, हिलोर, पानी ही लहर
अवगुंठन	घूँघट	परिधान	पोशाक	धवल	निर्मल, उजला, सफेद
निश्चित	स्थिर किया हुआ, निश्चित किया गया	दिव्य	भव्य, अलौकिक, अति सुंदर	अंबर	अभ्र, नभ, आकाश
अद्वितीय	अनुपम	ईर्ष्या	जलन, डाह	अव्यय	अक्षय, नित्य, जो व्यय न हो

16.1 समानार्थक/समानार्थी शब्द एवं अर्थभेद

समानार्थक शब्द उन शब्दों को कहा जाता है, जिनके अर्थ समान या एक हों। समानार्थक शब्दों के अर्थों की समानता के कारण ही इन्हें- एकार्थी शब्द, प्रतिशब्द, पर्यायवाची शब्द तथा समानार्थी शब्द आदि भी कहा जाता है।

- हिन्दी की उत्पत्ति तथा रूपरेखा संपूर्ण रूप से संस्कृत पर ही आधारित है तथा समानार्थक शब्दों की श्रेणी में सम्मिलित अधिसंख्य शब्द संस्कृत के मूलशब्द या तत्सम हैं।
- वर्तमान समय में हिन्दी के समानार्थक शब्द-भंडार में तत्सम, तद्भव, देशज तथा विदेशज शब्द शामिल हैं।

अध्याय
17

उपसर्ग एवं प्रत्यय

हिन्दी में शब्द-निर्माण एवं अर्थ की विशिष्टता प्रदान करने में उपसर्ग की अपनी महत्त्वपूर्ण भूमिका है। उपसर्ग प्राय: एक या दो अक्षरों के होते हैं। इन्हें शब्दांश या अव्यय भी कहा जाता है। ये शब्द के आगे (प्रारंभ में) लगकर मूल शब्द से भिन्न एक नए शब्द का निर्माण करते हैं और इस नए शब्द का अर्थ मूल शब्द के अर्थ से भिन्न होता है। इस प्रकार उपसर्ग ऐसे शब्दांश या अव्यय को कहते हैं, जो शब्द के प्रारंभ में प्रयुक्त होकर उसके अर्थ में विशेषता उत्पन्न करते हैं या परिवर्तन करते हैं। वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो हिन्दी शब्द-निर्माण के महत्त्वपूर्ण स्रोतों में से एक सशक्त साधन प्रत्यय है, जो किसी शब्द के अंत में जुड़कर नए शब्द का निर्माण कर न केवल अर्थ-क्षेत्र को व्यापक बनाता है, वरन् शब्द-भंडार को भी समृद्ध करता है।

17.1 उपसर्ग

उपसर्ग में दो शब्द हैं– उप + सर्ग। 'उप' का अर्थ समीप, पास या निकट होता है, जबकि 'सर्ग' से आशय सृष्टि करने से है। इस प्रकार उपसर्ग का शाब्दिक अर्थ होता है– पास या निकट बैठकर नव अर्थयुक्त शब्द-निर्माण या फिर अर्थ में विशिष्टता उत्पन्न करना।

उपसर्ग से संबंधित प्रमुख विशेषताएँ निम्नलिखित हैं–

- उपसर्ग की प्रयुक्तता से अर्थ में नई विशेषता आती है। जैसे– मूल्य-अमूल्य-बहुमूल्य।
- उपसर्ग के प्रयोग से शब्दार्थ में कोई विशेष अंतर नहीं आता है, केवल गति या अधिकता का बोध होता है।
- उपसर्ग लगाने से नवनिर्मित शब्द प्राय: मूल शब्द का विलोम बन जाता है, जैसे– शुभ-अशुभ, न्याय-अन्याय, डर-निडर।

उपसर्ग के प्रकार

चूँकि हिन्दी का जन्म या विकास संस्कृत से हुआ है। अत: इसके प्रमुख उपसर्ग संस्कृत के ही हैं। हालाँकि विकास के काल-क्रम में हिन्दी ने अपने उपसर्ग भी विकसित किये हैं। फिर मुगल साम्राज्य और अंग्रेज़ी शासनकाल की सदियों की अवधि में इनकी भाषाओं अरबी-फारसी तथा अंग्रेज़ी ने हिन्दी पर जबरदस्त प्रभाव डाला और परिणाम के रूप में इन भाषाओं के प्रचलित प्रमुख उपसर्गों को हिन्दी ने यथावत् अथवा कुछ रूप-परिवर्तन के साथ कर लिया। इस प्रकार, वर्तमान में हिन्दी में प्रमुख रूप से तीन प्रकार के प्रचलित उपसर्ग प्रचलित हैं–

1. संस्कृत के उपसर्ग 2. हिन्दी उपसर्ग 3. उर्दू के उपसर्ग

1. संस्कृत के उपसर्ग

हिन्दी ने संस्कृत के जिन प्रमुख उपसर्गों को ग्रहण किया है, उनके नाम, अर्थ एवं उनसे निर्मित स्वीकार सरल बोध हेतु सारणी के रूप में शब्द प्रस्तुत हैं–

उपसर्ग	अर्थ	उपसर्ग से निर्मित शब्द
अति	अधिक, ऊपर, उस पार	अतिकाल, अतिक्रमण, अतिरिक्त, अतिशय, अतिव्यापी, अत्यंत, अत्युक्ति, अत्याचार, अतिक्लांत, अत्युत्तम इत्यादि।
अधि	श्रेष्ठ, ऊपर, निकटता	अधिकरण, अधिकार, अधिकोष, अधिपति, अधिपाठक, अधिराज, अधिवासी, अधिष्ठाता, अध्यक्ष, अध्यादेश, अध्यात्म इत्यादि।
अनु	क्रम, पीछे, पश्चात्, समान	अनुकरण, अनुकूल, अनुक्रम, अनुचर, अनुज, अनुपात, अनुरूप, अनुरक्षण, अनुशासन, अनुशीलन, अनुस्वार, अनुकृति इत्यादि।

अध्याय
18

वाक्य या वाक्यांश के लिये एक शब्द

किसी भी समृद्ध भाषा का एक महत्त्वपूर्ण गुण होता है– कम शब्दों में भावों एवं विचारों की अधिकाधिक अभिव्यक्ति। हिन्दी भाषा इस क्षेत्र में अत्यंत समृद्ध है। संधि, समास आदि हिन्दी भाषा के इसी गुण के परिचायक हैं और इसी श्रेणी में वाक्य या वाक्यांश के लिये एक शब्द भी समान रूप से सम्मिलित है। इसे 'अनेक शब्दों के लिये एक शब्द' के नाम से भी जाना जाता है। सामान्य, विशिष्ट व गुणवत्तापूर्ण लेखन और विशेषकर संक्षिप्तीकरण में इसकी उपयोगिता स्वत:सिद्ध है।

भाषा अपनी विकास-यात्रा में इस प्रकार की आवश्यकता की महत्ता को महसूस करते हुए तदनुरूप शब्दों का निर्माण एवं अधिग्रहण करती है। इनके माध्यम से कम-से-कम शब्दों में अधिक-से-अधिक अर्थों या भावों की अभिव्यक्ति हो सकती है। यहाँ यह कहना विशेष तर्कसंगत होगा कि यदि अनेक शब्दों के प्रयोग की बजाय एक शब्द ही पूर्ण अर्थ प्रदान करने में सक्षम हो तो एक शब्द का प्रयोग युक्तिसम्मत होगा। 'वाक्य या वाक्यांश के लिये एक शब्द' की सूची काफी लंबी है, फिर भी नीचे कुछ महत्त्वपूर्ण वाक्य या वाक्यांशों के लिये एक शब्द दिये जा रहे हैं–

'अ' वर्ण से संबंधित

वाक्य या वाक्यांश	एक शब्द
पुरुष-गोद में सोने वाली स्त्री	अंकशायिनी
गोद में स्थित/जो गोद में हो	अंकस्थ
बही-खाता के हिसाब की जाँच करने वाला	अंकेक्षक
अंडे से उत्पन्न (जन्म) होने वाला	अंडज
मूलकथा में प्रसंगवश प्रयुक्त लघुकथा	अंत:कथा
महल में रानियों का निवास-स्थान	अंत:पुर
सबके अंत:करण (मन) की बात जानने वाला	अंतर्यामी
पृथ्वी और आकाश के मध्य का क्षेत्र/स्थान	अंतरिक्ष
जिसे जीता न जा सके	अजेय
गुरु के साथ या समीप रहने वाला विद्यार्थी	अंतेवासी
निम्न वर्ण में जन्म लेने वाला	अंत्यज
बिना विचारे (सोचे-समझे) विश्वास करने वाला	अंधविश्वासी
बिना विचारे (सोचे-समझे) अनुगमन करने वाला	अंधानुगामी
जो कहा (अभिव्यक्त) न गया हो	अकथित
जो कहा (अभिव्यक्त) न जा सके	अकथनीय
जिसको काटा (तर्क से) न जा सके	अकाट्य
जो अपने स्थान या स्थिति से अलग न किया जा सके	अच्युत
जो इंद्रियों द्वारा जाना न जा सके	अगोचर
जिसकी सर्वप्रथम गिनती हो	अग्रगण्य
जिसका जन्म पहले हुआ हो	अग्रज (बड़ा भाई)
जो सबसे आगे रहता हो (सबसे आगे रहने वाला)	अग्रणी
जो स्त्री सूर्य भी न देख सके	असूर्यम्पश्या
जो घटित न हुआ हो	अघटित

अध्याय
19

विशेषण और विशेष्य

किसी भी संज्ञा के अनेक गुण होते हैं, जिनको व्यक्त करने के लिये विशेषण-पदों का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार के गुण संज्ञा के रूप, आकार, संख्या तथा गुण-स्थिति के रूप में होता हैं।

19.1 विशेषण

संज्ञा एवं सर्वनाम की विशेषता या गुण को अभिव्यक्त करने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। विशेषण का प्रयोग निम्नलिखित रूप में किया जाता है–

विशेषण के प्रमुख रूप

- विशेषता व्यक्त करने में
- मात्रा व्यक्त करने में
- स्वभाव व्यक्त करने में
- संख्या व्यक्त करने में

1. विशेषता व्यक्त करने में

विशेषण शब्द द्वारा किसी व्यक्ति अथवा वस्तु की विशेषता का बोध कराया जाता है, जैसे–सीता **सुंदर** है। इस वाक्य में 'सुंदर' शब्द सीता की विशेषता को व्यक्त कर रहा है, अत: 'सुंदर' विशेषण है।

2. मात्रा व्यक्त करने में

प्रतिनिधि विशेषण शब्द के द्वारा मात्रा का बोध कराया जाता है, जैसे–**दस** किलो चावल। यहाँ 'दस' विशेषण शब्द चावल की मात्रा का बोध कराता है।

3. स्वभाव व्यक्त करने में

प्रतिनिधि विशेषण शब्द के द्वारा संज्ञा के स्वभाव का भी बोध कराया जाता है, जैसे–राम **शांत** व्यक्ति है। इस वाक्य में 'शांत' शब्द राम के स्वभाव को व्यक्त कर रहा है, अत: 'शांत' शब्द विशेषण है।

4. संख्या व्यक्त करने में

प्रतिनिधि विशेषण शब्द के माध्यम से संख्या का बोध कराया जाता है, जैसे–कक्षा में **चालीस** छात्र हैं। इस वाक्य में 'चालीस' शब्द छात्रों की संख्या का बोध करा रहा है, अत: 'चालीस' शब्द विशेषण है।

विशेषण के भेद

विशेषण के प्रमुख रूप से चार भेद (प्रकार) होते हैं, जो निम्नलिखित हैं–

विशेषण के भेद

- परिमाणवाचक विशेषण
- गुणवाचक विशेषण
- सार्वनामिक विशेषण
- संख्यावाचक विशेषण

1. परिमाणवाचक विशेषण

संज्ञा अथवा सर्वनाम के परिमाण का बोध कराने वाले विशेषण को परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं।

उदाहरण–

(i) मेरी गाय **बहुत** दूध देती है।

(ii) राम को **थोड़ी** कॉफी दो।

अध्याय
20

हिन्दी भाषा की सामान्य अशुद्धियाँ (वाक्य-शुद्धि)

शुद्ध एवं त्रुटिहीन अभिव्यक्ति हेतु भाषागत वाक्य-रचना संबंधी विशेष विधान होते हैं और इन्हीं के आधार पर भाषायी शुद्धता की स्थापना होती है। हिन्दी भाषा में भी शुद्ध, स्पष्ट, सुंदर एवं पूर्ण भाव की अभिव्यक्ति हेतु वाक्य-रचना के अन्यान्य विधान हैं, जिनका क्रमिक, व्यवस्थित एवं विस्तृत वर्णन यहाँ प्रस्तुत है।

20.1 वाक्य-रचना के नियम

भाषा के माध्यम से जो विचार या भाव की अभिव्यक्ति होती है, वह कमोबेश पूर्ण वाक्य के रूप में होती है। वाक्य सार्थक शब्द-समूह का योग होता है और ये शब्द-समूह कुछ विशेष विधान के अनुरूप वाक्य में स्थानगत होते हैं, तदुपरांत ही विचार/भाव की सार्थक एवं स्पष्ट अभिव्यक्ति संभव हो पाती है। इस दृष्टिकोण से शुद्ध, संपूर्ण एवं सार्थक वाक्य-रचना हेतु निम्न विधान का ज्ञान होना अति आवश्यक है–

प्रमुख विधान

शब्द-क्रम | अन्वय या मेल | पद/शब्द-प्रयोग

शब्द-क्रम

'शब्द-क्रम' का अर्थ है– शब्दों का क्रम। शब्दों के इस क्रम से आशय वाक्य में इनकी वाक्य-रचना के विधानानुसार प्रयुक्तता से है। सार्थक वाक्य तभी बनता है, जब उसमें प्रयुक्त शब्द-समूह एक विशेष नियम के अनुसार स्थानगत होता है। अत: शुद्ध एवं सुंदर लेखन एवं वाचन (वार्ता) हेतु शब्द-क्रम संबंधी विधान (नियमों) का ज्ञान अत्यंत आवश्यक है। यहाँ इन नियमों का क्रमिक विवरण निम्नांकित रूप से प्रस्तुत है–

- **वाक्य-रचना में सर्वप्रथम (प्रारंभ में) कर्त्ता, तत्पश्चात् कर्म एवं अंत में क्रिया की प्रयुक्तता होनी चाहिये।**

  उदाहरण– मैं किताब पढ़ता हूँ। राम ने भोजन किया। श्याम स्कूल गया।

  इन वाक्यों में 'मैं', 'राम' और 'श्याम' कर्त्ता होने के कारण वाक्य के प्रारंभ में, जबकि 'किताब', 'भोजन' और 'स्कूल' कर्म होने के कारण वाक्य के मध्य में और 'पढ़ता हूँ', 'किया' और 'गया' क्रमश: क्रिया होने के कारण वाक्य के अंत में आए हैं।

- **कर्त्ता के विस्तार (उद्देश्य) को कर्त्ता के पूर्व तथा क्रिया के विस्तार (विधेय) को क्रिया के पूर्व वाक्य में प्रयुक्त करें।**

  उदाहरण– **नम्र** व्यक्ति **नम्रतापूर्वक** बात करते हैं। **अच्छे** विद्यार्थी **धीरे-धीरे** लिखते हैं।

  इन वाक्यों में 'नम्र' एवं 'अच्छे' जो कर्त्ता-विस्तार हैं, क्रमश: कर्त्ताद्वय 'व्यक्ति' एवं 'विद्यार्थी' के पूर्व आए हैं, जबकि 'नम्रतापूर्वक' एवं 'धीरे-धीरे' क्रिया-विस्तार होने के कारण क्रमश: क्रियाद्वय 'बात' और 'लिखते' से पहले आए हैं।

- **वाक्य में कारक की अहम भूमिका के कारण अधिकरण, अपादान, संप्रदान और करण कारक को क्रमागत (क्रमिक) रूप से कर्त्ता तथा कर्म के मध्य प्रयुक्तता होनी चाहिये।**

  उदाहरण– राम ने गाड़ी **में** (अधिकरण) रखी थैली **से** (अपादान) बच्चों **के लिये** (संप्रदान) अपने हाथ **से** (करण) टॉफियाँ निकालीं।

अध्याय 21

हिन्दी की उपभाषाएँ व बोलियाँ

भाषा-वैज्ञानिकों ने भाषा और बोली के बीच एक और वर्ग को स्वीकार किया है, जिसे उपभाषा कहते हैं। भाषा का संबंध बोलने व लिखने से है, जबकि बोली का संबंध बोलने से है लेकिन उपभाषा का संबंध न तो बोलने से है और न ही लिखने से। सामान्य रूप से कहें तो यह एक ऐसा वर्ग है जिसका विश्लेषण तो हो सकता है पर प्रयोग नहीं हो सकता। एक भाषा की बहुत सी बोलियाँ होती हैं तथा उन बोलियों के बीच अलग-अलग मात्रा में निकटता और दूरी दिखलाई देती है।

हिन्दी की बोलियों के आधार पर विश्लेषण करें तो हम पाएंगे कि उत्तर प्रदेश तथा दिल्ली की बोलियों में जितनी निकटता होगी, उतनी उत्तर प्रदेश और झारखंड की बोलियों में नहीं हो सकती। इसी प्रकार बिहार तथा पूर्वी उत्तर प्रदेश की बोलियों में जो निकटता होगी, वह बिहार और छत्तीसगढ़ की बोलियों में नहीं हो सकती। इसका सामान्य अर्थ यह हुआ कि निकटवर्ती बोलियाँ परस्पर गहराई से जुड़ी होती हैं, जबकि दूर की बोलियों में उतना आंतरिक तारतम्य नहीं होता। उपभाषा सामान्य रूप से बोलियों के उस वर्ग को कहते हैं जिनमें समान ऐतिहासिक विरासत के कारण गहरे संबंध होते हैं तथा जिनकी भाषिक प्रवृत्तियाँ प्राय: एक सी होती हैं।

उपभाषा काल्पनिक वर्ग नहीं है जिसे मात्र बोलियों की परस्पर समानता के आधार पर निर्मित किया गया हो। बोलियों के निकट संबंध वस्तुत: समान ऐतिहासिक उद्‌भव पर आधारित होते हैं। हिन्दी की उपभाषाओं की चर्चा करें तो हम पाते हैं कि पाँच प्रकार की प्राकृतों से पहले अपभ्रंशों तथा बाद में हिन्दी की उपभाषाओं का विकास हुआ है। विकास की यह प्रक्रिया इस प्रकार है-

- राजस्थानी प्राकृत → अपभ्रंश → राजस्थानी हिन्दी (उपभाषा)
- शौरसेनी प्राकृत → शौरसेनी अपभ्रंश → पश्चिमी हिन्दी (उपभाषा)
- अर्द्धमागधी प्राकृत → अर्द्धमागधी उपभ्रंश → पूर्वी हिन्दी (उपभाषा)
- मागधी प्राकृत → मागधी अपभ्रंश → बिहारी हिन्दी (उपभाषा)
- खस प्राकृत → खस अपभ्रंश → पहाड़ी हिन्दी (उपभाषा)

यद्यपि इस विकास प्रक्रिया के संबंध में भाषा-वैज्ञानिकों में अत्यधिक विवाद है, किंतु सामान्य रूप से यह वर्गीकरण स्वीकार किया जाता है।

हिन्दी की उपभाषाएँ तथा बोलियाँ

हिन्दी भाषा का वर्गीकरण निम्नलिखित पाँच उपभाषाओं में किया जाता है- राजस्थानी हिन्दी, बिहारी हिन्दी, पहाड़ी हिन्दी, पश्चिमी हिन्दी तथा पूर्वी हिन्दी।

हिन्दी भाषा

राजस्थानी हिन्दी	बिहारी हिन्दी	पहाड़ी हिन्दी	पश्चिमी हिन्दी	पूर्वी हिन्दी
1. मारवाड़ी	1. भोजपुरी	1. कुमाउँनी	1. ब्रजभाषा	1. अवधी
2. मालवी	2. मगही	2. गढ़वाली	2. कौरवी/खड़ी बोली	2. बघेली
3. मेवाती	3. मैथिली		3. हरियाणवी	3. छत्तीसगढ़ी
4. जयपुरी/ढूंढाणी			4. कन्नौजी	
			5. बुंदेली	
			6. दक्खिनी	

अध्याय 22

पारिभाषिक शब्दावली (प्रशासनिक एवं वाणिज्यिक)

पारिभाषिक शब्द ऐसे शब्दों को कहा जाता है जिनका प्रयोग किसी विशिष्ट प्रयोजन के लिये किया जाता हैं। ये शब्द दैनिक जीवन के शब्द न होकर ज्ञान-विज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों जैसे– गणित, इंजीनियरिंग, भौतिकी, रसायन, मनोविज्ञान, अर्थशास्त्र आदि के विशिष्ट शब्द होते हैं। इनकी अर्थ सीमा परिभाषित एवं सुनिश्चित होती हैं तथा इन शब्दों का अर्थ भी निश्चित एवं विशिष्ट होता है। जैसे– अभिकर्त्ता (Agent), समनुदेशन (Assignmnt), भुगतान शेष (Balance of Payment), तुलन पत्र (balance sheet), तेजड़िया (Bull), अधिहरण (Confiscation), परेषण (Consignment) आदि।

पारिभाषिक शब्दावली के अंतर्गत उन शब्दों को सम्मिलित किया गया है जो प्रशासनिक कार्यों में सर्वाधिक प्रचलित एवं उपयोगी हैं तथा जिन शब्दों का प्रयोग प्रशासनिक कार्यों में बार-बार होता है। अत: उन शब्दों का अंग्रेज़ी एवं हिन्दी रूपांतरण जानना अति आवश्यक है, जिससे प्रशासनिक कार्यों को करते हुए आप किसी प्रकार की असहजता का अनुभव न करें।

शब्द एवं उनका अंग्रेज़ी रूपांतरण

इसमें प्रशासनिक व्यवस्था में प्रचलित हिन्दी शब्दों का संग्रह करते हुए उनके अंग्रेज़ी रूपांतरण को भी उनके सम्मुख उपलब्ध कराया गया है जिससे प्रशासनिक व्यवस्था में प्रचलित हिन्दी शब्दों की अंग्रेज़ी क्या है, इसकी जानकारी आपको हो सके।

शब्द	अंग्रेज़ी रूपांतरण
अंतरण	Transfer (ट्रांसफर)
अंचल	Zone (जोन)
अंत:क्रिया	Interaction (इंटरेक्शन)
अंतर्राष्ट्रीय विधि	International Law (इंटरनेशनल लॉ)
अंतर्दृष्टि	Insight (इनसाइट)
अंतर्मुखी	Introvert (इन्ट्रोवर्ट)
अग्रिम अदायगी	Advance Payment (एडवांस पेमेंट)
अधिपत्र	Warrant (वारंट)
अधिमान्य	Preferable (प्रेफेरेबल)
अनभिज्ञता	Ignorance (इग्नोरेंस)
अनुबन्ध	Agreement (एग्रीमेंट)
अनियमितता	Irregularity (इरेग्युलैरटी)
अभिकथित	Alleged (अल्लेज्ड)
अभियोजन	Prosecution (प्रॉसिक्यूशन)
अर्थदंड	Penalty (पेनल्टी)
अल्पकालिक बोली	Short Term bid (शॉर्ट टर्म बिड्)
अवहेलना	Disregard (डिसरेगार्ड)
असमतल भूमि	Uneven land (अनइव्न लैंड)
असमर्थनीय	Untenable (अन्टेनेब्ल)
असहिष्णुता	Intolerance (इंटॉल्रेंस)
अनुस्मारक	Reminder (रिमाइंडर)
आंचलिक कार्यालय, क्षेत्रीय कार्यालय	Zonal Office (जोनल ऑफिस)
आचरण	Conduct (कंडक्ट)
आवंटन पत्र	1. Allotment letter (अलॉटमेंट लेटर) 2. Letter of Allotment (लेटर ऑफ अलॉटमेंट)
अग्रदाय	Imprest (इम्प्रेस्ट)
अभिकर्ता	Agent (ऐंजट)
उपबंध	Provision (प्रोविजन)
आवंटन	Allocation (एलोकेशन)
अभिविन्यास	Orientation (ऑरिएंटेशन)
अधिदेश	Mandate (मैंडेट)
आबकारी आयुक्त	Excise Commissioner (एक्साइज कमिश्नर)
आर्थिक अन्वेषक	Economic Investigator (इकनॉमिक इन्वेस्टिगेटर)

अध्याय
23

गद्यांश एवं उनसे संबंधित प्रश्न-उत्तर (शीर्षक, भावार्थ, संक्षेपण एवं रेखांकित अंशों की व्याख्या)

इस अध्याय के अंतर्गत उत्तर प्रदेश (राज्य सेवा) परीक्षा के लिये निर्धारित किये गए नवीन पाठ्यक्रम को ध्यान में रखते हुए आयोग द्वारा विगत वर्षों में आयोजित की गई मुख्य परीक्षाओं (प्रवर/अवर/आर.ओ./ए.आर.ओ.) के सामान्य हिन्दी वाले भाग में गद्यांश से संबंधित शीर्षक, भावार्थ, संक्षेपण एवं रेखांकित अंशों की व्याख्या संबंधी प्रश्नों को चरणबद्ध रूप से हल करने का तरीका बताया गया है।

शीर्षक

यह मूल पाठ के केंद्रीय भाव से संबंधित होता है। यह मूल पाठ का अत्यंत महत्त्वपूर्ण शब्द या एक से अधिक शब्दों का समूह होता है। मूल पाठ के शीर्षक को परखने या अनुमान लगाने हेतु सबसे उपयुक्त तरीका यह होता है कि यदि हम दिये गए मूल पाठ को पढ़कर लगभग उसी प्रकार का अवतरण लिखने में सफल होते हैं तो समझो वही उपयुक्त शीर्षक है। इसी प्रकार यदि पाठ में शीर्षक से संबंधित एक से अधिक विकल्पों का अभाव हो तब आकलन कीजिये कि उनमें से कोई एक ऐसा होगा, जो सबसे बेहतर होगा तब यह समझो वही उचित शीर्षक है।

भावार्थ

गद्यांश का ऐसा विवरण या विवेचन, जिसमें उसका केवल मूल भाव या आशय समाहित हो, उसे भावार्थ समझा जाता है। भावार्थ की लंबाई-चौड़ाई की एक निश्चित या अंतिम सीमा नहीं निर्धारित की जा सकती। इसमें मूल गद्यांश के सभी प्रधान तथा गौण भाव शामिल होने चाहियें, साथ ही भाषा भी सरल होनी आवश्यक है।

संक्षेपण

किसी विस्तृत विवरण, वक्तव्य, व्याख्या, भाषण, पत्र, लेख आदि के सारगर्भित एवं संक्षिप्त प्रस्तुतीकरण को संक्षेपण कहते हैं। डॉ. वासुदेवनंदन प्रसाद के अनुसार, ''किसी विस्तृत विवरण, सविस्तार व्याख्या, वक्तव्य, पत्र-व्यवहार या लेख के तथ्यों और निर्देशों के ऐसे संयोजन को 'संक्षेपण' कहते हैं, जिसमें अप्रासंगिक, असंबद्ध, पुनरावृत्त तथा अनावश्यक बातों का त्याग और सभी अनिवार्य, उपयोगी तथा मूल तथ्यों का प्रवाहपूर्ण संक्षिप्त संकलन हो।'' संक्षेपण में मूल संदर्भ के विचारों को इस प्रकार संक्षिप्त एवं क्रमबद्ध रूप में रखा जाता है कि उसमें मूल अवतरण के सभी विचार आ जाएँ। संक्षेपण को पढ़ लेने के बाद मूल अवतरण को पढ़ने की आवश्यकता नहीं रह जाती है। संक्षेपण में अनावश्यक शब्दों को हटा दिया जाता है। इसमें कम-से-कम शब्दों में अधिक-से-अधिक विचारों, भावों तथा तथ्यों को प्रस्तुत किया जाता है। अत: कहा जा सकता है कि संक्षेपण किसी बड़े ग्रंथ का संक्षिप्त संस्करण, बड़ी मूर्ति का लघु अंकन और बड़े चित्र का छोटा चित्रण है।

संक्षेपण की विशेषताएँ

- **पूर्णता–** संक्षेपण अपने आप में पूर्ण होना चाहिये। इसके मूल संदर्भ में सभी विचार आने चाहियें तथा मूल के अनुरूप ही विचारों की गंभीरता भी बनी रहनी चाहिये। संक्षेपण पढ़ने पर मूल अवतरण के सभी विचार एवं भाव स्पष्ट हो जाने चाहियें।
- **संक्षिप्तता–** संक्षेपण के मूल में उसकी संक्षिप्तता का गुण है। अनावश्यक शब्दों को छाँटकर तथा मुख्य विचारों को सामासिक शैली में सारगर्भित रूप में व्यक्त करना ही संक्षेपण की विशेषता है। सामान्यत: संक्षेपण मूल संदर्भ का एक-तिहाई हिस्सा/भाग होता है।
- **स्पष्टता–** संक्षेपण में अर्थ की स्पष्टता होनी चाहिये। संक्षेपण को पढ़ने से मूल अवतरण का आशय स्पष्ट हो जाना चाहिये।

डी.एल.पी. बुकलेट्स की विशेषताएँ

- आयोग के नवीनतम पैटर्न पर आधारित अध्ययन सामग्री।
- पैराग्राफ, बुलेट फॉर्म, सारणी, फ्लोचार्ट तथा मानचित्र का उपयुक्त समावेश।
- विषयवस्तु की सरलता, प्रामाणिकता तथा परीक्षा की दृष्टि से उपयोगिता पर विशेष ध्यान।
- क्विक रिवीजन हेतु प्रत्येक अध्याय में महत्त्वपूर्ण तथ्यों का संकलन।
- प्रत्येक अध्याय के अंत में विगत वर्षों में पूछे गए एवं संभावित प्रश्नों का समावेश।

Website : www.drishtiIAS.com
E-mail : online@groupdrishti.com

DrishtiIAS
YouTube Drishti IAS
drishtiias
drishtithevisionfoundation

641, First Floor, Dr. Mukherjee Nagar, Delhi-110009
Phones : +91-8448485520, 011-47532596